Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मेवाड़ में झाला ठिकानों के अधीन आर्थिक व्यवस्था

देवा राम*

* शोधार्थी (इतिहास) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – अर्थ मानव जीवन का प्रमुख अंग है। बिना अर्थ के मनुष्य के नित्य कर्म अवरूद्ध हो जाते है। चाणक्य का कथन 'अर्थ राज्यस्य मूलम्, अर्थ धर्मस्थ मूलम्'। सत्य है कि इतिहास के प्रत्येक काल में तथा वर्तमान में भी अर्थ या राजस्व ही किसी साम्राज्य, राष्ट्र, राज्य व ठिकाने का मूल आधार तत्व है। मुख्य वार्ता, वृत्ति अर्थात् जीविका में मनुष्य जीवन निर्वाह हेतु कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य को साधन माना जाता है। अर्थ सभी वर्णो व कालों में महत्वपूर्ण है। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यत 'ग्रामाश्रित' थी।[1]

सामाजिक पक्ष के साथ ठिकाने का आर्थिक पक्ष भी महत्वपूर्ण पक्ष होता है। मेवाड़ में सभी ठिकानों को श्रेणियों में विभक्त करके उनको तीन श्रेणियों में विभक्त किया था। मेवाड़ में उच्च ठिकानों (उमरावों) को अधिक आय वाले क्षेत्र प्रदान किये जाते थे जिससे महाराणा की सेना में अधिक से अधिक सैनिक व जाब्ते में साथ उपस्थित रहते थे। प्रशासनिक दृष्टि से मेवाड़ मुगल पद्धति के समान परगनों में विभक्त था। इसमें 55 परगनों का विवरण जागीरदारों के संदर्भ में मिलता है। परगनों की शासन व्यवस्था दो भागों में विभक्त थी खालसा व जागीर प्रशासन। खालसा गावों का सम्बन्ध सीधा महाराणा से था, जबकि जागीरी क्षेत्र जागीरदारों के अधीन होता था।[2]

जागीरदार के स्तर के अनुसार उसकी रेख निश्चित की जाती थी। उसकी पूर्ति के लिए रोकड़ वेतन नहीं देकर गांव प्रदान किये जाते थे। गांव की आय के अनुसार उसकी रेख तय की जाती थी। जागीरी पट्टों के गांव की रेख सदैव एक समान नहीं रहती थी। जागीरदार की सेवा के अनुसार यह घटती-बढ़ती रहती थी। किसी जागीरदार को उसकी रेख के अनुपात में अधिक रेख के गांव दिये जाते तो बढ़ी हुई रेख के बदले रोकड़ रूपये जागीरदार को राजकीय कोष में जमा कराने पडते थे। दूसरी ओर अगर जागीरदार को निर्धारित रेख के अनुपात में कम रेख के गांव मिलते थे तो उसकी पूर्ति हेतु राज्य की तरफ से उसे रोकड़ राशि प्रदान की जाती थी। पट्टों में रेख के साथ उपत के आकड़े अंकित होते थे। रेख टको में होती थी, जबकि उपत रूपयों में होती थी। इन आकड़ों में कोई भी तालमेल नहीं होता था। सामान्यत: इनका अनुपात 2:1 होता किन्तु कभी-कभी अनुपात नहीं भी हो सकता था। मेवाड़ का सामन्ती क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने हेतु सामन्तों पर निम्न रूप से जागीरी प्रदान की जाती थी। इसमें रेख, रखवाली, वधारा, पट्टा, जागीरी गावों का हस्तांतरण, तलवार बंधाई, कैद, खड़लाकड़, व्यापारियों की सुरक्षा व दाण कर, सासण (माफी) की भूमि आदि होती है।[3]

कृषि एवं राजस्व व्यवस्था – अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों तथा जलवायु के कारण भारत प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है। मेवाड़ में यद्यपि भूमि पूर्णतया कृषि अनुकूल नहीं है परन्तु बहुसंख्यक निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही रहा। जीवन निर्वाह के अनेक साधन जो बाद में विकसित होते रहे, वे भी कृषि पर आधारित या इनसे सम्बन्धित रहे। मध्यकालीन कृषि व्यवस्था जागीरदारी प्रणाली, के तरीकों से प्रभावित रहा। तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक व प्राकृतिक उथल-पुथल व अनियमितता का कृषि की उन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। फिर भी ग्रामीण जीवन एवं अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि ही बना रहा।

मेवाड़ में समस्त भूमि का मालिक महाराणा ही था। उसी के आदेश से भूमि प्रदान की जाती थी। यह भूमि खालसा, जागीर, भोम, सासण और चरनोट के रुप में होती थी। महाराणा किसी भी व्यक्ति को किन्हीं भी शर्तों पर भूमि का अनुदान देने व प्रदत्त भूमि को वापस लेने का अधिकारी था।[4]

व्यवहारिक रुप से भूमि पर काश्त करने वाले जब तक लगान देते रहते थे, तब तक भूमि के मालिक बने रहते थे। मेवाड़ में प्रदत्त पट्टे, परवाने, महाराणाओं एवं जागीरदारों के मध्य सम्पन्न कौलनामें इन तथ्यों की पुष्टि करते हैं।[5]

देलवाड़ा ठिकाने की भूमि महाराणा द्वारा झाला वंश को जागीर के रुप में दी गई भूमि है। जागीर भूमि का क्षेत्रफल विभिन्न महाराणाओं के समय, ठिकाने के महाराणा से संबंधों के अनुसार, परिवर्तित होता रहा। उदाहरणार्थ महाराणा प्रताप व अमरसिंह द्वारा राणा कल्याणसिंह (सं. 1639) को देलवाड़ा पट्टे में 231 गांव, महाराणा कर्णसिंह द्वारा राणा कल्याणदास को 200 गाँव, महाराणा राजसिंह द्वारा राणा राघवदेव को 274 गाँव, महाराणा भीमसिंह द्वारा 94 गाँव राणा कल्याण सजावत को दिये गये। राजनैतिक व आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन का प्रभाव जागीरी गांवों के वितरण पर पड़ता रहा।[6]

कृषक – ठिकाने में अधीनस्थ जागीरदार मुख्यतया बँटाई या हाली प्रणाली से काश्त करवाते थे। कुछ गाँवों मे राजपूत भाई बन्द भी खुद काश्त करते थे। मौजावार खुलासा अध्ययन से परिचय मिलता है कि अधिकतर जहाँ पैदावार अच्छी व पीवल की भूमि थी वह खालसा अथवा अधीनस्थ जागीरदारों के पट्टे में, या महाजनों या ठिकाने से सम्बन्धित कर्मचारियों के पट्टे मे थी। खाकी की जमीनों पर गाँव के अन्य निवासियों यथा डांगी, तेली, रेबारी आदि जातियों की कृषि भूमि थी। माफी की जमीने अधिकतर ब्राह्मणों की थी।[7]

किसान बापीदार/खड़मदार, खातेदार या शिकमी हो सकते थे। बापीदार/खड़मदार गाँव की चकबंदी में माफीदार की हैसियत से दर्ज थे।

खातेदार वे किसान थे, जिनके पट्टे में उसकी जमीन से संबंधित नाम, गांव की सालाना जमाबंदी आदि दर्ज थे। शिकमी काश्तकार वे होते थे जिसका कब्जा किसी जमीन पर 12 वर्ष से अधिक समय से ठिकाना जागीरदार या माफीदार ने दिया था। इनका जमीन पर हक नहीं होता था। बाकी काश्तकारों को जब तक वे लगान देते रहते थे उन्हें जमीन से बेदखल नहीं किया जाता था।[8]

इसके अतिरिक्त काश्तकारी मोल देकर, हाली प्रथा या बँटाई पर भी की जाती थी। चकबंदी के समय डोरी से नापकर और खेत के चारों ओर डोरी बाँध कर एक, साखी दो साखी अलग-अलग की जाती थी एवं कृषकों को निर्धारित राजस्व देने हेतु पाबन्द किया जाता था। कई जगह शरह (दर) अधिक ऊँची थी, निम्न कृषक जातियाँ यथा रेबारी, डांगी आदि महाजनों के कर्जदार थे। कई खेत रहन (गिरवी) रखे हुए थे, कभी-कभी ठिकाना भी अधीनस्थ गाँवों को खालसा कर देता था। रेबारी अधिकतर अपने ऊँटों के साथ बाहर रहते थे तो उनकी स्त्रियाँ कीमत देकर कृषि करवाती थीं।[9]

ठिकाने के अन्य गाँवों में जैसे बिलोता में कुल 57 घर थे जिसमें से 50 घर डांगियों के थे। पास की मंगरियों पर भीलों के 20 घर थे, अत: मुख्य कृषक व कृषि मजदूर जातियाँ यही थी। इसी प्रकार गुड़ली में कुल 20 ही घर डांगियों के थे। गोरेला में 26 घरों में से 14 घर राजपूतों के, 6 घर रेबारियों एवं पास ही भीलबस्ती में 13 घर भीलों के थे। इसी प्रकार सोडावास में 53 घरों में से 10 घर राजपूतों के, 10 घर रेबारियों के एवं 16 घर डांगियों थे। झीपों का रंहट में 15 घर डांगियों के थे।[10]

इस प्रकार ठिकाने में मुख्य कृषक जातियाँ डांगी, राजपूत, रेबारी, भील ही थी। अन्य जातियों को भूमि माफी या चाकराना मिली थी जिन पर भी कृषक मजदूर रुप में या हाली, हिजारी के रूप में उपरोक्त कृषक जातियों को रखा जाता था।

जलवायु व वर्षा – किसी भी स्थान की जलवायु वहाँ होने वाली वर्षा एवं वहाँ के प्राकृतिक वन सम्पदा पर निर्भर करती है। मेवाड़ की जलवायु स्वास्थ्यप्रद है। पहाड़ी क्षेत्र होते हुए भी वनस्पति की सहायता ने यहाँ सुरम्य वातावरण का निर्माण किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में पानी प्राय: भारी होता है। इस भौगोलिक क्षेत्र में तीनों ही मौसम अपनी विशेषता लिये हुए रहते हैं अर्थात् सर्दी के मौसम में सर्दी गर्मी के मौसम में, गर्मी व वर्षा के मौसम में वर्षा की अधिकता रहती है।[11]

ठिकाने के समय औसतन 25 से 30 इंच वर्षा का रिकार्ड मिलता है। यह क्षेत्र चारों ओर से हरी भरी पहाड़ियो से घिरा रहा है। ब्रिटिश काल में धीरे-धीरे वनों की कटाई से, पहाड़ियाँ शुष्क व उजाड़ हुई एवं जलवायु पर विपरीत प्रभाव पड़ा। कुछ वर्षो के अंतर पर अकाल भी पड़ते रहे।[12]

ब्रिटिश प्रभाव से विभिन्न क्षेत्रों में जागीरों में भी वर्षा को नापा जाने लगा एवं रिकार्ड रखा जाने लगा। देलवाड़ा ठिकाना रिकार्ड्स में भी वर्षा नापने के उदाहरण यत्र-तत्र मिलते है जैसे भादवा सुदी 1 बुधे कल शाम बरसी 3 सेंट, रात की दस बजे से 12 बजे तक 18 सेंट, कुल अमावस की सारी रात कुल बरसात 21 सेंट।[12]

सं 1949 (ई.1893) में सावन विद 3 बुध 10.7.1895 ई. को 3 सेंट पानी बरसा। सं 1940 (ई.1833) में 2 शीशी का 1 इंच का नाप बनाया गया था। इसके अनुसार वर्षो के महीनों में प्रत्येक वर्षा दिवस का रिकार्ड रख कर औसत वर्षा का माप ज्ञात किया जाता था।[14]

ब्रिटिश काल में ई. 1884 (सं 1941) में सज्जनकीर्ति सुधाकर में प्रकाशित सभी जिलों के वर्षा औसत के अनुसार उदयपुर व देलवाड़ा की वर्षा का माप निम्न था।[15]

क्र.	नाम जिला	जून		जुलाई	
		इंच	सेंट	इंच	सेंट
1.	उदयपुर	4	14	11	18
2.	देलवाड़ा	3	37	13	82

सं. 1941 में ही देलवाड़ा जिले व उदयपुर जिले की माहवार वर्षा का वितरण[16] –

क्र.	नाम जिला	जून		जुलाई		अगस्त		सितम्बर		कुल	
		इंच	सेंट	इंच	सेंट	इंच	सेंट	इंच	सेंट	इंच	सेंट
1.	देलवाड़ा	2	17	13	82	6	41	6	29	28	79
2.	उदयपुर	4	14	11	18	12	21	6	82	34	45

कृषि मुख्यतया वर्षा आधारित होती थी। अत: ठिकाने के कृषि अध्ययन हेतु मेवाड़ की वर्षा को अनुमान रुप में लिया जा सकता है। दहसाला राजस्व सारणी से वर्षा का उपज व राजस्व पर प्रभाव देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ ई. 1875 (सं. 1932) में अतिवृष्टि से कृषि उपज में कमी आई एवं बिलोता में राजस्व 5166 रु. से 4682 रु. और अगले वर्ष भी 3805 रु. तक कम वसूल हो पाया।[17]

वर्षा के अतिरिक्त ठिकाने में मुख्यतया कुऐं एवं तालाबों से सिंचाई की जाती थी। ठिकाने के गाँवों और तालाबों का विवरण निम्न प्रकार से हैं[18] –

क्र.	नाम गाँव	कुल कुऐं	आबाद कुऐं	तालाब आबाद	तालाब बेआबाद	सं.1989 में कुऐं	ई1941 में कुऐं
1.	देलवाड़ा	23	22	1	–	25	28
2.	बिलोता	119	108	2	–	37	40
3.	सोडावास	9	5	–	–		15
4.	रामपुरा	2	2	–	–		4
5.	मांडक	1	1	–	–		8
6.	करोली	37	24	2	–		62
7.	बरवालिया	5	4	–	–		7
8.	भूमलया रो गुड़ा	1	1	–	–		
9.	कोलर	1	1	–	–		2
10.	रायाघाटी को मठ	2	2	–	–	3	2
11.	श्यामजी का गुड़ा	1	1	–	–		1
12.	गोलेरा	3	3	–	–	7	5
13.	नेगड्या	32	23	–	–	44	43
14.	लोलेरा का गुड़ा	15	7	–	–		14
15.	जावड़	1	1	–	–		114
16.	बांसल्यो	16	13	2	–		29
17.	धोली मगरी	21	20	1	–		25
18.	बगडुद्या	3	3	–			3
19.	जाट सादड़ी	20	16	–	–	27	27
20.	जीडोली	3	3	1	1		8
21.	लाड्यां का खेड़ा	6	2	1	–		5
22.	जाला का गुड़ो	2	2	–	–		2
23.	करेला की गुड़ो	5	2	–	–		6
24.	बड़ो भेरड़ो ढाणिया समे	36	19	1	1		54

25.	छोटा भेरड़ो	8	8	–	–		22
26.	मारूवास	9	8	1			14
27.	बेरण	12	9	1	–		20
28.	कोटड़ी	7	7	–	–		23
29.	गणदोली	15	15	–	1		34
30.	आकोदड़ो	9	7	–	–		
31.	वजम्या	8	5	–	–		18
32.	देवद्या को गुडो	5	4	–	–		7
33.	कुंडाल को गुड़ो	3	2				5
34.	वीखरणी	24	17	1	–		22
35.	बीलावास	4	4	–	–	3	3
36.	रठूंजना	19	14	–	–		25
37.	मागथला	31	25	1	–		45
38.	बालाथल	23	17	–	–		31
39.	बिठोली	25	19	2	–		45
40.	भाणसोल	60	55	–	–		61
41.	गुडली	9	9			11	16
42.	सूरजगढ़	154	123	–	–		
43.	मोडी	10	8	–	–		12
44.	कठणयावड़ा	2	1	1	–		12
45.	रामा	30	27	2	–		30
46.	पांडोली	268	237	3	2		156
47.	सीसमी	23	17	1	2		28
48.	मांथुडल	19	13	–	–		31
49.	बड़गाँव	17	14	–	–		17
50.	मुडोल	11	10	–	–		12
51.	अणगोर	28	22				
52.	जड़फा	4	2	–	–		10
53.	हतप्रावड़	22	19	–	–		12
54.	बनाऐको	5	5	–	–		
55.	पीपरोली	20	18	1	0		27
56.	नेता का गुड़ा	10	8	–	–	10	13
57.	मदार	19	18	–	–		147
58.	कदमाल	17	14	–	–		20
59.	सेलु	15	8	–	–		10
	कुल	1339	1140	28	12		1781

उपरोक्त सारणी के अनुसार ठिकाने में कुल कुँओं की संख्या 1873 ई. में 1393 थी जिसमें से 1140 कुएँ आबाद थे अर्थात् पानी पीने एवं सिंचाई हेतु उपयोग में लिया जाता था। आबाद तालाबों की संख्या 25 थी जो सिंचाई एवं पेयजल के रुप में उपयोगी थे एवं बेआबाद तालाब 12 थे। ई. 1932 में संख्या में कुछ वृद्धि हुई परन्तु ई. 1941 में कुल 1781 कुऐं थे।[19]

मुख्यतया सिंचाई कुएं एवं नाडियों से होती थी, जिसमें जमीन के प्रकार के अनुसार कुओं का भी वर्गीकरण किया जाता था। उदाहरण के लिये 31 खालसा जारी, 4 गैर जारी, 2 माफी जागीर कुल 37 कुएं भी थे। विभिन्न कुओं पर रँहट, चडस एवं छोटी नहरों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। नए कुएँ खोदने की प्रवृति भी ई. 1873 से ई. 1932 के मध्य देखी गई।[20]

निष्कर्ष – इस प्रकार झाला राजवंश के प्रमुख ठिकाने एवं देलवाड़ा ठिकाने में आर्थिक रूप से निम्न प्रशासनिक व्यवस्था होती थी एवं राजराणा द्वारा इस क्षेत्र पर जो भी आय प्राप्त होती थी उसका कुछ हिस्सा मेवाड़ महाराणा को दिया जाता था। देलवाड़ा ठिकाना प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर होने के कारण महत्वपूर्ण क्षेत्र था। जिससे आय अधिक होती है एवं मेवाड़ को काफी फायदा होता था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. राधाकृष्ण चौधरी, प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास पृ. 12–15; गोगुन्दा ठिकाने का इतिहास, पृ. 405
2. हुकमसिंह भाटी (सं.), महाराणा भीमसिंह कालीन मेवाड़ जागीरदारा रे गांव–पट्टों राह मरजाद री हकीकत, पृ. प्रस्तावना VII; मेवाड़ ठिकानो के अभिलेख पृ. XIV-XVII सम्पादकीय गोगुन्दा ठिकाने का इतिहास, पृ. 406
3. सम्पादक हुकमसिंह भाटी, महाराणा भीमसिंह कालीन मेवाड़ जागीरदारा रे गांव–पट्टों राह मरजाद री हकीकत, पृ. प्रस्तावना VII; मेवाड़ ठिकानों के अभिलेख पृ. XIV-XVII सम्पादकीय गोगुन्दा ठिकाने का इतिहास, पृ. 406
4. गोपीनाथ शर्मा, सोशल लाइफ इन मिडाइवल राजस्थान, पृ. 289; देलवाड़ा ठिकाने का इतिहास, पृ.51
5. उदयपुर राज्य का इतिहास, पृ.708, 736, 45, 55, 813, 20; वही, पृ. 51
6. देलवाड़ा ठिकाने का इतिहास, पृ. 51
7. वही, पृ. 51–52
8. देलवाड़ा ठिकाने का इतिहास, पृ. 52
9. वही, पृ. 52
10. देलवाड़ा ठिकाने का इतिहास, पृ. 53–54
11. देलवाड़ा ठिकाने का इतिहास, पृ. 54
12. वही, पृ. 54
13. वही, पृ.54
14. वही, पृ. 54
15. देलवाड़ा ठिकाने का इतिहास, पृ. 55
16. वही, पृ. 55
17. वही, पृ. 55
18. देलवाड़ा ठिकाने का इतिहास, पृ. 56–57
19. देलवाड़ा ठिकाने का इतिहास, वही, पृ. 58
20. वही, पृ. 58–59

****